

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर ग्वालियर जिले के अन्तर्गत वनमण्डल ग्वालियर में लीलो ऑफ 132 के व्ही. महलगांव-ग्वालियर विद्युत लाईन के निर्माण हेतु 3.861 हेक्टेयर वनभूमि कार्यपालन अभियंता, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, ग्वालियर को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	--

दिनांक: 25.04.2022

स्थान: भोपाल

25/4/22
 (अशोक कुमार) (अशोक कुमार)
 अपर सचिव, अपर सचिव,
 मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
 म.प्र. शासन वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
 (प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)